आदेश संख्या 03/2018-19

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 - 31.03.2021) के लिए चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडा, चेन्नई के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में

16 अप्रैल, 2018

ऐरा बिल्डिंग
प्रशासनिक परिसर
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली-110003

स्टांप

18.आदेशों का सारांश

निर्णय संख्या- 1	टैरिफ निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली
निर्णय संख्या- 2	पहली नियंत्रण अवधि के लिए सही करना (ट्रू-अप)
निर्णय संख्या -3	यातायात पूर्वानुमान
निर्णय संख्या -4	वैमानिक और गैर वैमानिक सेवाओं के मध्य परिसंपत्तियों का आबंटन
निर्णय संख्या -5	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति आधार
निर्णय संख्या -6	पूंजीगत व्यय
निर्णय संख्या -7	मूल्यह्रास का प्रतिपादन (ट्रीटमेंट)
निर्णय संख्या -8	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी
निर्णय संख्या -9	रिर्टन की उचित दर (FRoR)
निर्णय संख्या-10	गैर-वैमानिक राजस्व
निर्णय संख्या-11	प्रचालन और रखरखाव के व्यय
निर्णय संख्या-12	कराधान
निर्णय संख्या-13	टैरिफ दर कार्ड

स्टांप

19. आदेश

19.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा 01.05.2018 से दूसरी नियंत्रण अवधि के अंत तक चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाए जाने के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए गए जो संलग्नक-। में दिए गए हैं।

19.2 वायुयान नियम 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा संलग्नक-। में दर कार्ड में दिए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित की गई है। ये दरें 01.05.2018 से प्रभावी होंगी।

19.3 इसमें निर्धारित टैरिफ की दरें अधिकतम हैं, इसमें कर यदि कोई हों तो वह इसमें शामिल नहीं है।

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह/-

(पूजा जिंदल)

सचिव

सेवा में,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन

सफदरजंग एयरपोर्ट

नई दिल्ली -110003

स्टांप

संलग्नक । प्राधिकरण के अनुसार विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.05.2018 से 31.03.2021 तक लागू होगा

I) लैंडिंग प्रभार

दर प्रति लैंडिंग - अंतरराष्ट्रीय उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 60 प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 1,500+₹65 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 3,125+₹ 75 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 6,875+₹ 90 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹15,875+₹ 100 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

दर प्रति लैंडिंग –घरेलू उडान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 30 प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹750+₹ 35 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹1,625+₹ 40 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 3,625+₹ 45 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 8,125+₹55 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

टिप्पणी

1)	क) हवाई अड्डे पर घरेलू अनुसूचित ऑपरेटर द्वारा संचालित किए जाने वाले 80 से कम सीट वाले अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान और ख) सभी प्रकार के हेलीकाप्टरों ग) डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग स्कूल/फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एयरक्राफ्ट के संबंध में लैंडिंग प्रभार देय नहीं होगा।
2)	जहां तक लैंडिंग शुल्क का संबंध है भारतीय ऑपरेटरों द्वारा उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी घरेलू लैग्स (legs) को घरेलू उड़ानों के रूप में माना जाएगा इस संबंध में ऐसी उड़ानों की निर्दिष्ट उड़ान संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी (अर्थात 1000 किग्रा) के आधार पर गणना की जाएगी

II) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दरें प्रति घंटा	हाऊसिंग प्रभार दरें प्रति घंटा
100 एमटी तक	₹ 1.2 प्रति एमटी प्रति घंटा	₹ 2.3 प्रति एमटी प्रति घंटा
100 एमटी से अधिक	₹120 +₹1.6 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹ 230+₹3.1 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर

स्टांप

टिप्पणी

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। नि:शुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाईंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ़ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।

III) थ्रूपुट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (₹ में)
₹ 196.0

IV) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)– प्रतिभूति (सिक्युरिटी)*

दर प्रति सवार यात्री	
₹ 130	$ 3.25

* पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी

टिप्पणी

1)	संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के **15** दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है**,** तो प्रति यात्री पीएसएफ़ का **2.50%** संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर **15** दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ़ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	ट्रांज़िट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ़ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
3)	यूएस $ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ़ का 2.5% का संग्रहण देय है।

V) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर
घरेलू यूडीएफ प्रति सवार यात्री	₹ 69
अंतरराष्ट्रीय यूडीएफ प्रति सवार यात्री	₹ 69

स्टांप

टिप्पणी

1)	संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के **15** दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 ₹ की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाईन **15** दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाईनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (**overdue**) नहीं होना चाहिए। जहां कही भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूडीएफ को विदेशी मुद्रा में परिकलन (calculating) के लिए भारतीय रिर्जव बैंक संदर्भ परिवर्तन दर जो पहली पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए पिछले माह के अंतिम दिन थी और दूसरी पाक्षिक में जारी किए गए टिकटों के लिए माह की 15 तारीख को थी को अपनाया जाएगा।
4)	संशोधित यूडीएफ प्रभार 01.05.2018 को या इसके पश्चात जारी किए गए टिकटों पर लागू होंगे।
5)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

<u>VI) हवाई अड्डों पर लेवी से और पीएसएफ(एस सी) से संग्रहण में छूट:</u>

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और पीएसएफ (सिक्युरिटी) के संग्रहण से छूट देने का निदेश दिया है।

1)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
2)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
3)	डयूटी पर एयरलाईन कर्मीदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मीदल को केवल विशेष उड़ान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
4)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
5)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
6)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
7)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

<u>VII) सामान्य शर्त:</u>

क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उड़ान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णत: मुक्त होगी।

ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक 2- दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्वों से एआरआर की तुलना।

क्र. सं.	विवरण	2017	2018	2019*	2020	2021
	ट्रैफिक पूर्वानुमान					
1	घरेलू एटीएम	111,331	114,351	122,356	130,921	140,085
2	अंतरराष्ट्रीय एटीएम	36,436	36,931	38,877	40,926	43,083
3	**कुल एटीएम**	**147,767**	**151,283**	**161,233**	**171,847**	**183,168**
4	घरेलू यात्री	13,153,967	14,626,758	16,089,434	17,698,378	19,468,216
5	अंतरराष्ट्रीय यात्री	5,208,248	5,408,155	5,757,805	6,130,061	6,526,384
6	**कुल यात्री**	**18,362,215**	**20,034,914**	**21,847,240**	**23,828,439**	**25,994,599**
7	**फ्यूल थ्रूपुट (कि.ली.)**	**588,545**	**602,547**	**642,180**	**684,454**	**729,545**
	वैमानिक राजस्व					
	लैंडिंग प्रभार					
8	औसत लैंडिंग प्रभार प्रति प्रस्थान घरेलू एटीएम (₹)	21705	21705	2394	2394	2394
9	औसत लैंडिग प्रभारों में वृद्धि प्रति प्रस्थान घरेलू एटीएम *(₹)*			-89%	0%	0%
10	**लैंडिंग प्रभार- घरेलू एटीएम (₹करोड़)**	**120.8**	**124.1**	**24.5**	**15.7**	**16.8**
11	औसत लैंडिंग प्रभार प्रति प्रस्थान अंतरराष्ट्रीय एटीएम (₹)	98284	98284	10841	10841	10841
12	औसत लैंडिग प्रभारों में वृद्धि प्रति प्रस्थान अंतरराष्ट्रीय एटीएम (₹)			-89%	0%	0%
13	**लैंडिंग प्रभार-अंतरराष्ट्रीय एटीएम (₹ करोड़)**	**179.1**	**181.5**	**35.2**	**22.2**	**23.4**
14	**कुल लैंडिंग प्रभार (घरेलू+अंतरराष्ट्रीय)**	**299.9**	**305.6**	**59.7**	**37.9**	**40.1**
	पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार:					
15	पार्किंग और हाऊसिंग औसत राजस्व प्रति प्रस्थान एटीएम (घरेलू+अंतरराष्ट्रीय)	987	987	109	109	109
16	**पार्किंग और हाऊसिंग प्रभारों में वृद्धि प्रति प्रस्थान एटीएम (घरेलू+अंतरराष्ट्रीय)**			-89%	0%	0%
17	**कुल पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार (घरेलू+अंतरराष्ट्रीय)**	**7.3**	**7.5**	**1.5**	**0.9**	**1.0**
	उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)					
18	घरेलू यूडीएफ प्रति प्रस्थान यात्री(₹)	166	166	69	69	69
19	घरेलू यूडीएफ में वृद्धि प्रति प्रस्थान यात्री(%)			-58%	0%	0%
20	घरेलू यूडीएफ से राजस्व (₹ करोड़)	109.2	121.4	62.0	61.1	67.2
21	अंतरराष्ट्रीय यूडीएफ प्रति प्रस्थान यात्री (₹)	667	667	69	69	69

स्टांप

22	अंतरराष्ट्रीय यूडीएफ में वृद्धि प्रति प्रस्थान यात्री *(%)*			-90%	0%	0%
23	अंतरराष्ट्रीय यूडीएफ से राजस्व (₹ करोड़)	173.7	180.4	34.2	21.1	22.5
24	**कुल यूडीएफ (₹ करोड़)**	**282.9**	**301.8**	**96.2**	**82.2**	**89.7**
	फ्यूल थ्रूपूट प्रभार (एफटीसी)					
25	एफटीसी (₹ प्रति कि.ली.)	1774.43	1774.43	196.0	196.0	196.0
26	**एफटीसी से राजस्व** (₹ **करोड़**)	**104.4**	**106.9**	**21.0**	**13.4**	**14.3**
27	**ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार**	**44.6**	**45.7**	**48.7**	**51.9**	**55.3**
28	*एटीएम में वृद्धि के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग प्रभारों में वृद्धि (%)*		2.4%	6.6%	6.6%	6.6%
29	**क्यूट** (Cute) **सेवाएं**	**19.3**	**21.0**	**22.9**	**25.0**	**27.3**
30	यात्रियों में वृद्धि के अनुसार क्यूट प्रभारों में वृद्धि *(%)*		9.1%	9.0%	9.1%	9.1%
31	**ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों से भूमि पट्टा**	**4.9**	**4.9**	**4.9**	**4.9**	**4.9**
32	संविदाओं के अनुसार वृद्धि		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
33	**तेल कंपनियों से भूमि पट्टा**	**24.8**	**24.8**	**24.8**	**24.8**	**24.8**
34	संविदाओं के अनुसार वृद्धि		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
35	**कार्गो राजस्व**	**193.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
36	**कुल वैमानिक राजस्व**	**981.1**	**818.2**	**279.8**	**241.0**	**257.4**
37	वैमानिक राजस्व का लक्ष्य	**448.6**	**510.0**	**579.4**	**658.4**	**748.3**
38	राजस्व में कमी (+)/अधिकता(-) अर्थात अंतर (अनुमानित -अनुमत) (Projected – Permissible)	-532.6	-308.2	299.6	417.4	490.9
39	बट्टा दर (14%) सहित 1.04.2016 को पीवी मूल्य में कमी (+)/अधिकता (-)	-532.6	-270.4	230.5	281.7	290.7
40	नियंत्रण अवधि के लिए 01.04.2016 को कुल पीवी कमी (+)/ अधिकता (-) का अंतर					**0.0**

***वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विद्यमान टैरिफ 30.04.2018 तक लागू है और संशोधित टैरिफ 01.05.2018 से आगे लागू है।**

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)